मिसलेनियस सं0–51/12
सरकार बनाम विभोर

04–12–2017

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। उनके द्वारा कहा गया कि इजराय वाद सं0–01/98 में डिक्री धनराशि निर्णित ऋणी द्वारा अदा कर दी गयी है और उनकी ओर से उक्त वाद को पूर्ण सन्तुष्टि पर निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। अतः निर्णित ऋणी की ओर से वर्तमान प्रकरण वाद निष्फल हो गया है। अतः निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी की ओर से उक्त पर कोई भी आपत्ति नहीं की गयी है।

जैसा कि इजराय वाद सं0–01/98 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद पूर्ण सन्तुष्टि में निरस्त हो गया है। अतः वर्तमान स्थिति में प्रकीर्ण वाद की कार्यवाही निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः प्रार्थनापत्र 3ग2 निरस्त किये जाने योग्य है तदनुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर की जावे।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
आवश्यक वस्तु अधिनियम,मेरठ।